न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– शकुंतला चौधरी आर.ए.एस.

मि0न0 – 06/2019(2019/00311)

अनवान : –

1. देवीदत पुत्र मुंशीराम जाति ब्राह्मण निवासी बेर तहसील भादरा।
2. लक्ष्मण पुत्र मुंशीराम जाति ब्राह्मण निवासी बेर तहसील भादरा।
3. रामानन्द पुत्र मुंशीराम जाति ब्राह्मण निवासी बेर तहसील भादरा।
4. छबीलचन्द पुत्र मुंशीराम जाति ब्राह्मण निवासी बेर तहसील भादरा।
5. रमेश पुत्र मुंशीराम जाति ब्राह्मण निवासी बेर तहसील भादरा।
6. छोटुराम पुत्र मुंशीराम जाति ब्राह्मण निवासी बेर तहसील भादरा।
7. मनोज पुत्र सरजीत जाति ब्राह्मण निवासी बेर तहसील भादरा।

प्रार्थीगण

बनाम

1. बनवारीलाल पुत्र कनीराम जाति ब्राह्मण निवासी बेर तहसील भादरा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।
3. भारतीय स्टेट बैंक शाखा छानीबड़ी।
4. कृष्ण पुत्र मुंशीराम जाति ब्राह्मण निवासी बेर तहसील भादरा।
5. जितेन्द्र पुत्र सरजीत जाति ब्राह्मण निवासी बेर तहसील भादरा।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता
अन्तर्गत धारा 8(2) राज0 को0 कन्डीशन सपठित
धारा 251ए राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री विक्रम शर्मा प्रार्थी
श्री श्यामसुन्दर अप्रार्थी

निर्णय दिनांक: 25/10/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 6 सीएचएन के वर्तमान खाता सं 43/42 के मु0न0 20 के किला न0 17, 24, 25, मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 21 ता 23, मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 1 ता 3, 9 ता 12, 19, 20 मुरब्बा नम्बर 31 के किला न0 4 ता 7, 14 ता 17 इस प्रकार कुल 5.819 हैक्टेयर नहरी खातेदारी में प्रार्थी संख्या 1 ता 6 व अप्रार्थी संख्या 4 के नाम संयुक्त रूप से 7/8 हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 7 व अप्रार्थी संख्या 5 के नाम संयुक्त रूप से 1/8 हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त खातेदारी के पास चिपते ही अप्रार्थी संख्या 1 की चक 6 सीएचएन के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 4, 5/1, 6/1, 7, 8, 13, 14, 15/1 इस प्रकार कुल 1.859 हैक्टेयर खातेदारी मय रास्ता भूमि स्थित है।

प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी में आवागमन के लिये अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में पूर्वी तरफ पत्थर लाईन पर उत्तर से दक्षिण पक्की सड़क गुजरती है, जिससे

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी में अप्रार्थी की चक 6 सीएचएन के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 13 ता 15 दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चित चलकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 12 में प्रवेश करता है। प्रार्थीगण सदामत से इसी रास्ता से अपनी खातेदारी को काश्त करते आ रहे है, इसके अलावा आवागमन हेतु अन्य कोई स्वीकृत शुदा अथवा चालू रास्ता नही है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी चक 6 सीएचएन के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 12 में प्रवेश के लिये अप्रार्थी बनवारीलाल की खातेदारी में चक 6 सीएचएन के मुरब्बा नम्बर 30 कि किला नम्बर 13, 14, 15/1 में दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम के लिये एक–एक बिस्वा रास्ता दर्ज किया जावें।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिसतामिल होने के उपरान्त अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी में आवागमन के लिये अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में पूर्वी तरफ पत्थर लाईन पर उत्तर से दक्षिण पक्की सड़क गुजरती है, जिससे होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी में अप्रार्थी की चक 6 सीएचएन के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 13 ता 15 दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चित चलकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 12 में प्रवेश करता है। प्रार्थीगण सदामत से इसी रास्ता से अपनी खातेदारी को काश्त करते आ रहे है, इसके अलावा आवागमन हेतु अन्य कोई स्वीकृत शुदा अथवा चालू रास्ता नही है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी चक 6 सीएचएन के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 12 में प्रवेश के लिये अप्रार्थी बनवारीलाल की खातेदारी में चक 6 सीएचएन के मुरब्बा नम्बर 30 कि किला नम्बर 13, 14, 15/1 में दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम के लिये एक–एक बिस्वा रास्ता दर्ज किया जावें। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर अतिरिक्त कथन किया गया कि अप्रार्थी संख्या 4 व 5 तथा प्रार्थीगण के संयुक्त खाता की भूमि है, जिसमें रास्ता कम से कम दूरी से लिया जाना होता है। प्रार्थीगण की भूमि में जाने के लिये मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 24 व 25 के दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम मात्र दो किला में रास्ता लिया जाना उचित है, क्योंकि मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 23 से प्रार्थीगण अपने खाता की भूमि में प्रवेश कर सकते है। चूंकि पत्थर नम्बर 532 पर उत्तर से दक्षिण पक्की सड़क गुजरती है। जिससे मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 24 व 25 से रास्ता स्वीकृत करवाया जाना उचित है। इससे 3 बिस्वा रास्ता की बजाये 2 बिस्वा ही भूमि प्रार्थीगण को देनी पड़ेगी। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थीगण की उक्त खातेदारी में आवागमन के लिये अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी में पूर्वी तरफ पत्थर लाईन पर उत्तर से दक्षिण पक्की सड़क गुजरती है, जिससे होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी में अप्रार्थी की चक 6 सीएचएन के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 13 ता 15 दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चित चलकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 12 में प्रवेश करता है। प्रार्थीगण सदामत से इसी रास्ता से अपनी खातेदारी को काश्त करते आ रहे है, इसके अलावा आवागमन हेतु अन्य कोई स्वीकृत शुदा अथवा चालू रास्ता नही है। अतः प्रार्थीगण की खातेदारी चक 6 सीएचएन के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 12 में प्रवेश के लिये अप्रार्थी बनवारीलाल की खातेदारी में चक 6 सीएचएन के मुरब्बा नम्बर 30 कि किला नम्बर 13, 14, 15/1 में दक्षिण तरफ पूर्व

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

से पश्चिम के लिये एक–एक बिस्वा रास्ता दर्ज किया जावें। वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 4 व 5 तथा प्रार्थीगण के संयुक्त खाता की भूमि है, जिसमें रास्ता कम से कम दूरी से लिया जाना होता है। प्रार्थीगण की भूमि में जाने के लिये मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 24 व 25 के दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम मात्र दो किला में रास्ता लिया जाना उचित है, क्योंकि मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 23 से प्रार्थीगण अपने खाता की भूमि में प्रवेश कर सकते है। चूंकि पत्थर नम्बर 532 पर उत्तर से दक्षिण पक्की सड़क गुजरती है। जिससे मुरब्बा नम्बर 21 के किला नम्बर 24 व 25 से रास्ता स्वीकृत करवाया जाना उचित है। इससे 3 बिस्वा रास्ता की बजाये 2 बिस्वा ही भूमि प्रार्थीगण को देनी पड़ेगी।

बहस उभयपक्षकारान सुनी जाकर तहसीलदार भादरा से रास्ता हेतु वर्तमान एवं मौका रिपोर्ट तैयार कर मंगवाई गई, जिसमें प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यधिक होना तथा ना केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये होना बताया गया व इसके अलावा अन्य खातेदारों की जोत में से पहुंच हेतु अन्य कोई रास्ता चालू अथवा स्वीकृत होना नही बताया गया साथ ही रास्ते के प्रथम बिन्दु से प्रार्थीगण की भूमि तक वर्तमान रास्ता नक्शा ट्रेस में दर्शा दिया गया है।

विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया जाकर एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों तथा तहसीलदार भादरा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 बनवारीलाल की खातेदारी चक 6 सीएचएन के मुरब्बा नम्बर 30 के किला नम्बर 12 में प्रवेश के लिये अप्रार्थी बनवारीलाल की खातेदारी में चक 6 सीएचएन के मुरब्बा नम्बर 30 कि किला नम्बर 13, 14, 15/1 में दक्षिण तरफ पूर्व से पश्चिम की ओर आवागमन के लिए उक्त प्रत्येक किला में 8–1/4 फीट चौड़ा रास्ता दर्ज किया जाकर उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड, हॉल जमाबन्दी एवं नक्शा में किया जावें व उक्त रास्ता में जाने वाली भूमि के अनुपात में ही रास्ता की एवज में प्रार्थी की चक 6 सीएचएन के मुरब्बा न0 30 के किला न0 3 से अप्रार्थी संख्या 1 बनवारी के चिपते हुये उक्त किला नम्बर 3 की भूमि को कम की जाकर अप्रार्थी संख्या 1 बनवारीलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में भूमि दर्ज की जावें। तहसीलदार भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 25/10/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी) R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़